

District Need Assessment Training

Child Protection Issues and Legislations



बाल मजदूरी

- बाल मजदूरी वो काम है जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी शमता और उनके सम्मान से वंचित रखता है, तथा उनके शारीरिक और मानसिक विकास को हानि पहुंचाता है। (International Labour Organization)
- भारत में विश्व के १४ वर्ष की कम आयु से काम कर रहे बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है।
- विभिन्न व्यवसाय जिनमें बच्चे कार्यरत हैं जैसे कि कपड़े, जूते चप्पल व बरतण के कारखाने, होटल आदि। बहुत बच्चे एक्सपोर्ट के काम करने वाले कारखानों में भी काम करते हैं जैसे कालीने बनाना, ताले बनाना, बीडी रोलिंग, स्टोन कुँर्रिंग आदि।
- इसके अतिरिक्त, भारत में लगभग ८५% बाल मजदूर ऐसे हैं जिन तक पहुंचना मुश्किल है क्यों की वो अव्यवस्थित सेक्टर में काम कर रहे हैं – जैसे पारिवारिक इकाइयाँ जो की बाल मजदूरी के कानून के दायरे में नहीं आते।
- भारत में ७०% बच्चे कृषि और उससे संबंधित व्यवसाय में काम कर रहे हैं। (UNFAO)
- शहरो में डोमेस्टिक बाल मजदूरी एक ज्वलंत समस्या है। अक्सर ऐसे बच्चों का अत्यधिक शोषण किया जाता है और उन्हें बंधुआ मजदूरों की तरह रखा जाता है।

- बाल मजदूरी बच्चों को न केवल उनके शिक्षा के अधिकार से वंचित रखती है बल्कि उनके स्वास्थ्य (शारीरिक और मानसिक) और विकास के अधिकारों का हनन करती है।
- बाल मजदूरी बच्चों के भविष्य के लिए अत्यंत गंभीर समस्या है। शिक्षा से वंचित, उन्हें बड़े होकर अच्छी नौकरी मिलना असंभव है जो उनके आजीवन गरीबी और शोषण का कारण है।
- भारत सरकार ने बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए १९८६ में एक विशेष कानून पारित किया जिसका नाम “ बाल मजदूरी (प्रतिबन्ध और नियंत्रण) अधिनियम” है। इस अधिनियम में बच्चों की आय १४ वर्ष निर्धारित की गयी है। इस अधिनियम के तहत ऐसे सभी कार्य और प्रक्रिया की लिस्ट है जिनमें बच्चों का कार्य निषेध है।
- किशोर न्याय (देखरेख और सुरक्षा) अधिनियम २००० संशोधित २००६ भी बाल मजदूरी की रोकथाम की बात करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत १८ वर्ष की कम आय वाले बच्चों से बीख मंगवाना और उन्हें खतरनाक कामों में मजदूरी करवाना निषेध है।
- इसके अतिरिक्त बाल मजदूरों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल मजदूरी कार्यक्रम है जो उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करता है।



बाल शोषण

- बाल शोषण का अर्थ बच्चों का किसी भी प्रकार का शारीरिक और/अथवा भावनात्मक दुश्च्यवहार, यौन शोषण, बच्चों के प्रति उदासीनता, व्यावसायिक एवं अन्य उत्पीड़न होता है। (World Health Organization)
- बाल शोषण बच्चों के मानव अधिकारों का हनन है तथा बच्चों के शारीरिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है।

शारीरिक शोषण

- २ में से ३ बच्चों का शारीरिक शोषण होता है।
- ऐसे बच्चे जिनका परिवार में शोषण होता है, उनमें से ८८.६% बच्चे माता पिता द्वारा शारीरिक रूप से शोषित किये जाते हैं।
- ६२% सरकारी और नगर निगम में पढ़ने वाले बच्चों को कारपोरल पनिशमेंट दिया जाता है।
- ज्यादातर बच्चे किसी से शिकायत नहीं करते। (Study on Child Abuse, by MWCD 2007)

यौन शोषण

- ५३.२% बच्चे एक या एक से ज्यादा प्रकार के यौन शोषण का सामना करते हैं।
- आंध्र प्रदेश, असम, बिहार और दिल्ली में सबसे ज्यादा यौन शोषण दर्ज हुआ।
- ५.६९% बच्चों को यौन असाルト का सामना करना पड़ा।
- असम, आंध्र प्रदेश, बिहार और दिल्ली में सबसे ज्यादा यौन असाルト दर्ज किया गया।
- ५०% शोषक बच्चों के जान पहचान के होते हैं जिन पर बच्चे भरोसा करते हैं।
(Study on Child Abuse, by MWCD, 2007)
- यौन शोषण की गंभीरता Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO Act) को देखते हुए भारत सरकार ने २०१२ में The) पारित किया।
- यह अधिनियम पांच प्रकार के यौन ओफ़ेंसस की पहचान करता है–
penetrative sexual assault, aggravated penetrative sexual assault, sexual assault, aggravated sexual assault, sexual harassment, and using a child for pornographic purposes.
- इन ओफ़ेंसस में किसी का साथ देना या फिर इन ओफ़ेंसस को करने की कोशिश करना भी इस अधिनियम के तहत दंडनीय है।

- यह अधिनियम जेंडर न्यूट्रल है।
- चाइल्ड फ्रेंडली प्रक्रिया इस कानून की एक खासियत है। इसके अंतर्गत जिला में चिल्ड्रेनस कोर्ट के घटन का प्रावधान है।



बाल विवाह

- बाल विवाह ऐसा विवाह है जिसमें विवाह करने वाले दोनों में से एक पक्ष बच्चा हो। (PCMA, २००६) (इस अधिनियम के अंतर्गत लड़कों की उम्र २१ वर्ष और लड़कियों की उम्र १८ वर्ष है। यह अधिनियम तीन मुख्य बिंदुओं पर केन्द्रित है : रोकथाम, संरक्षण, और दण्ड।)
- बहुत बार दोनों पक्ष बच्चे होते हैं। जब की कई बार लड़कियों का विवाह उनसे काफी बड़े उम्र के पुरुष से कर दिया जाता है या फिर उन्हें ऐसे विवाह के लिए बेच दिया जाता है।
- भारत में करीब आधी (४३%) २०-२४ उम्र की स्त्रियों का विवाह १८ साल से कम उम्र में हो गया था। (NFHS III)
- जबकि १६% २०-४९ आयु वाले पुरुषों का विवाह १८ की उम्र तक हो जाता है और २८% का २० साल तक। (NFHS III)
- बाल विवाह न केवल बच्चों की पढाई की सम्भावना पर प्रश्न चिह्न खड़ा करता है बल्कि उनके व्यक्तिगत विकास में भी रुकावट डालता है।

- बाल विवाह दोनों लड़के और लड़कियों के शारीरिक, मानसिक, बोधिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
- बाल विवाह लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से हानिकारक होता है। कम उम्र में गर्भवती होना और माँ बनना बाल विवाह के स्वाभाविक दुष्परिणाम हैं। गर्भ के दौरान १५ साल से कम उम्र की लड़कियों के मरने की सम्भावना ५ गुना ज्यादा पाई गयी है।
- इसके अतिरिक्त कम उम्र में शादी करने से लड़कियों के शोषण और उत्पीड़न की सम्भावना ज्यादा होती है।
- बाल विवाह की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम २००६ पारित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह रोकने के लिए जिला स्तर पर एक बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति की बात की गयी है।



कारपोरल पनिशमेंट

- ऐसा पनिशमेंट जिसमें शारीरिक फ़ोर्स का प्रयोग किया जाये और जो बच्चों को हानि, तकलीफ या असुविधा पहुंचाने के विचार से किया गया हो। (UNICEF)
- इसके अतिरिक्त ऐसे पनिशमेंट भी हैं जिसमें शारीरिक फ़ोर्स का प्रयोग नहीं किया जाता पर बच्चों को उससे उतनी ही तकलीफ पहुंचती है जितनी की शारीरिक पनिशमेंट से। जैसे बच्चों का मजाक उड़ाना, उन्हें छोटा महसूस कराना, उनकी बेज़ती करना।
- २ में ३ बच्चों का स्कूल में शारीरिक शोषण होता है। (Study on Child Abuse by MWCD, 2007)
- दोनों सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों को डिसिप्लिन के नाम पर कारपोरल पनिशमेंट दिया जाता है।
- कारपोरल पनिशमेंट बच्चों में आत्म सम्मान का आभाव लाता है तथा उनके सीखने के प्रक्रिया में रुकावट डालता है।
- बच्चों पर हिंसा का प्रयोग उन्हें यह गलत सन्देश देता है कि हिंसक व्यवहार चलता है।

- २००५ का National Plan for children कारपोरल पनिशमेंट के निषेध के लिए प्रतिबद्ध है। नेशनल प्लान for एजुकेशन १९९२ भी कारपोरल पनिशमेंट को स्कूलों से उखाड़ फेंकने की बात करता है।
- २००७ में राष्ट्रीय बल आयोग ने कारपोरल पनिशमेंट की गंभीरता को देखते हुए सभी राज्यों को कारपोरल पनिशमेंट को रोकने की हिदायत देते हुए गाइडलाइन्स का निर्माण किया।
- इसके अतिरिक्त किशोर न्याय अधिनियम २००० और शिक्षा का अधिकार २००९ कारपोरल पनिशमेंट का प्रयोग निषेध करता है।



कन्या भ्रूण हत्या

- गर्भपात करना क्यों कि भ्रूण का लिंग स्त्री है।
- अल्ट्रा सोनोग्राफी का गलत फायदा उठा कही जगहों पर लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है।
- कन्या भ्रूण हत्या जीने के अधिकार का हनन है।
- कन्या भ्रूण हत्या भारत में एक व्यापक समस्या है।
- २०११ की जनगणना के अनुसार भारत में सेक्स रेश्यो ९४३ और चाइल्ड सेक्स रेश्यो ९१३ है।
- बेटे की चाह और दहेज की डिमांड कन्या भ्रूण हत्या के प्रमुख कारण है।
- कई राज्यों में सेक्स रेश्यो इतना कम है कि लड़कों की शादी के लिए लड़कियां दूसरे राज्यों से लानी पड़ती है। यह लड़कियों की खरीद फिरोक, शोषण और उत्पीड़न का कारण बनता है।

- कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम करने के लिए दो मुख्य कानून हैं -
 1. Prenatal Diagnostic Test Act (PCPNDT) इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भ्रूण का लिंग जानना गैर कानूनी है।
 2. Medical Termination of Pregnancy Act इस अधिनियम के अंतर्गत कन्या मेडिकल कारणों से गर्भपात के नियमों का ब्यौरा है ताकि इस प्रावधान का गलत फायदा ना उठाया जा सके।



बाल कुपोषण

• अल्पशोषण जिसका कारण अपर्याप्त खपत, धीमा अवशोषण और अत्यधिक loss of nutrients. कुपोषण के तीन मानक हैं

१. Weight-for-age
२. Height-for-age
३. Weight-for-height

(Guidelines for in-patient treatment of SAM by MoFHW, 2011)

• विश्व के ४०% कुपोषित बच्चे भारत में हैं।

• भारत में हर साल २.५ मिलियन बच्चों की मृत्यु होती है (विश्व में ५ में १ मृत्यु भारत से दर्ज होती है)। इनमें से आधे से जादे बच्चों का जीवन बचाया जा सकता है अगर उन्हें अच्छा पोषण मिले।

• Nutrition Barometer 2011 के तहत भारत की परफॉरमेंस सबसे कमज़ोर है। (Save the Children, 2011)

• ग्लोबल हंगर इंडेक्स २०११ के तहत भारत बाल कुपोषण में ११९ देशों में ११७ स्थान पर है। (IFPRI)

- भारत सरकार द्वारा कुपोषण के रोकथाम के लिए कई योजनाये और सेवाओं का प्रावधान है जैसे ICDS, MDM, PDS, food for work in MNREGA, अन्त्योदा अन्न योजना, कुपोषण उपचार केंद्र।
- सेविका, सहाय, सहयिका कुपोषित बच्चों की पहचान, उनको कुपोषण उपचार केंद्र में रेफरल और फॉलो-उप में सबसे एहम भूमिका निभाती है।



भेदभाव

- किसी व्यक्ति के साथ किया गया Prejudicial Treatment क्यों कि वे किसी समुदाय या कैटेगरी से हैं।
- भारत में कई कारणों से भेदभाव किया जाते हैं। इसमें प्रमुख है - जाती के आधार पर भेदभाव और लिंग के आधार पर भेदभाव।

जाती के आधार पर भेदभाव:

- जाती के आधार पर भारत में १६५ मिलियन से ज्यादा लोग भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा के शिकार होते हैं। (CHR&GJ)
- जाती के आधार पर भेदभाव जीवन के विभिन्न दायरे में देखने को मिलता है जैसे कि : विवाह, स्कूल, कार्यस्थल आदि।
- जाती के आधार पर भेदभाव रोकने की लिए Prevention of Atrocities Act 1989 प्रावधान है जिसमें दलितों के साथ किये जाने विभिन्न प्रकार के भेदभावों का वर्गीकरण था दण्ड है।

लिंग के आधार पर भेदभाव:

- लिंग के आधार पर किये जाने वाले भेदभाव को 'gender discrimination' कहते हैं।
- भारत में लिंग के आधार पर भेदभाव भ्रूण से ही शुरू हो जाता है। जिसके चलते हमारा देश का सेक्स रेश्यो काफी कम है।
- यह लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव ही है जिसके चलते लड़कियों में कुपोषण की शिकायत ज्यादा पी जाती है, उनमें स्कूल ड्राप आउट दर ज्यादा पाया जाता है या फिर उनकी उम्र से पहले ही शादी कर दी जाती है।
- लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव महिलाओं को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न व शोषण का शिकार बनाता है व घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा को बढ़ावा देता है।
- भारत सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई योजनाओं को बढ़ावा दे रही है जैसे किशोरी शक्ति योजना, SABLA, Mahila SHG इत्यादि।
- Equal Remuneration Act, the Prevention of Immoral Traffic Act, the Sati (Widow Burning) Prevention Act, and the Dowry Prohibition Act कुछ ऐसे अधिनियम जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

विकलांगता के आधार पर भेदभाव:

- शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, मानसिक, विकास संबंधी हानि के परिणाम को विकलानगिता कहते हैं।
- समाज सेवी संस्थाओं के तहत भारत में ६० मिलियन के लगभग विकलानाग लोग हैं। शर्म की बात यह है कि भारत की जनगणना में विकलांग व्यक्तियों का कोई ब्यौरा नहीं है।
- हाला कि सरकार ने विकलांगों के वेलफेयर के मद्दे नज़र रखते हुए सरकारी क्षेत्र में रिजर्वेशन का प्रावधान किया है और उनके खिलाफ भेदभाव रोकने के लिए कई गाइडलाइन्स भी हैं। लेकिन अब तक विकलानागों पर विशेष अधिनियम पारित नहीं हो पाया है और ना ही सरकार द्वारा पारित गाइडलाइन्स का पालन हुआ है।
- शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विकलान्गों को सामान्य स्कूलों में पढ़ने का प्रावधान है लेकिन अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर के आभाव के कारण विकलांग व्यक्ति अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते और अशिक्षा के आभाव में समस्याग्रस्त हो जाते हैं।



आपदा

- प्राकृतिक खतरे के परिणाम के चलते जन-जीवन, स्वास्थ्य, रोज़गार, सम्पत्ति और सेवाओं को होने वाला नुकसान को आपदा का खतरा कहते हैं। (UNICEF)
- आपदा से बच्चों को कई प्रकार के खतरे होते हैं। आपदा के समय बच्चों के प्रति उदासीनता, परित्यक्त, आर्थिक उत्पीड़न, परिवार से बिछुड़ने, अवेध एडॉप्शन एवं विभिन्न प्रकार की हिंसा की सम्भावना बढ़ जाती है।
- इसलिए यह ज़रूरी है कि गाँव और कम्युनिटी संभावी खतरे और बच्चों को उससे होने वाले खतरे की जांच कर उससे होने वाले खतरों को कम करने का प्लान तैयार रखे।
- Children's Charter for Disaster Risk Reduction में बच्चों ने पढ़ाई में रुकावट, किसी का बच्चों और उनकी समस्याओं पर ध्यान न होना आदि जैसी परेशानियों की पहचान की।
- इसके अतिरिक्त, आपदा से बच्चों को शारिरिक एवं मानसिक शोषण का भी खतरा होता है।



पलायन

- किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का अनंतर राजिय या इंटरनेशनल बॉर्डर पार करकर जाना और वहां रहना। (International Organization for Migration)
- पलायन दो प्रकार का होता है- स्वेच्छा से या फिर ज़बरदस्ती से। ज़बरदस्ती से किये गए पलायन की कई वजह हो सकती है आपदा, displacement (SEZ)।
- भारत में इंटरनल पलायन यानि की एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर गाँव से शहर में जाकर बसना बहुत ज्यादा पाया जाता है। २०११ की जनगणना के अनुसार भारत में ३०% (३०९ मिलियन) जनता इंटरनल पलायन करती है।
- एक स्टडी के अनुसार भारत में १५ मिलियन बच्चे पलायन करते हैं। (Daniel 2011, Smita 2011) जो उनके भविष्य पर एक गंभीर प्रश्न चिह्न है। यह उन्हें अक्सर न केवल शिक्षा से वंचित रखता है बल्कि उनका उत्पीडन और शोषण का कारण बनता है।
- पलायन या तो लम्बे समय का होता है या फिर कम समय का 'seasonal' होता है।
- उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से सबसे ज्यादा पलायन होता है। (UNICEF)
- दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका, गुजरात वे राज्य है जहाँ लोग पलायन करके जाते हैं। (UNICEF)

- भारत में पलायन के लिए कानूनों और ऐसे लोगों के संरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रमों का आभाव एक चिंता का विषय है।
- पलायन करने वाले लोगों को मौलिक सुविधाओं जैसे subsidized राशन, पक्के घर, पीने के लिए स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा व बैंक की सेवाओं इत्यादी से वंचित रहना पड़ता है। ऐसे परिवार ज्यादातर उत्पीड़न और शोषण का शिकार बनते हैं।

अधिनियम एवं योजनाये

क. सं.	अधिनियम/ योजना	उद्देश्य	कार्य वाहक
१.	किशोर न्याय अधिनियम २००६	यह अधिनियम ऐसे बच्चों के संरक्षण के लिए है जिन्हें देखभाल की ज़रूरत है या फिर कानून से संघर्ष करते हुए बच्चों के लिए है। इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चा वो है जो १८ वर्ष की कम आयु का है।	बाल कल्याण समिति (३+२), किशोर न्याय बोर्ड (२+१), स्पेशल किशोर पुलिस इकाई (Juvenile Welfare officer)
२.	बाल विवाह निषेध अधिनियम २००६	यह अधिनियम बाल विवाह के रोकथाम, संरक्षण, और पनिशमेंट की बात करता है। इसके अंतर्गत लड़को की आयु २१ वर्ष है और लड़कियों की १८ वर्ष है।	बाल विवाह निषेध अधिकारी, जिला अध्यक्ष, First class न्यायधीश, पुलिस, परिवार कोर्ट।
३.	बाल मजदूर (निषेध और नियंत्रण) १९८६	इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चे की आयु १४ वर्ष निर्धारित की गयी है। इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे सभी व्यावसायों और प्रक्रियाओं को चिन्हित किया गया है जहाँ बच्चों का काम करना निषेध है। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी व्यवसाय या प्रक्रिया जहाँ बच्चे काम कर सकते हैं, उनके काम करने के लिए नियंत्रण के नियम बताये गए हैं।	पुलिस, श्रम सुपेरिन्टेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड लेबर टास्क फोर्स।

Prevntion of Child Sexual offence Act	पहले ऐसा अधिनियम है जो बच्चों को शोषण से संरक्षण के लिए बनाया गया है। इसके अंतर्गत बच्चों की आयु १८ वर्ष है।	क्राइसिस इंटरवेंशन सेल, चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट, सपोर्ट पर्सन
शिक्षा का अधिकार, २००९	यह अधिनियम ६-१४ वर्ष की आयु के बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। इसके अंतर्गत कारपोरल पनशिमेंट दंडनीय है। इसके अतिरिक्त यह कोई भी प्रकार का भेदभाव जैसे की धर्म, जाति, विकलंगिता, लिंग का निषेध है।	School Management Committe, Parent Teachers' Association, राष्ट्रीय बाल आयोग, राज्य बाल आयोग।
समेकित बाल संरक्षण योजना	इस योजना के अंतर्गत बच्चों के संरक्षण के लिए जो structures and services हैं उनका ब्यौरा है।	District Child Protection Unit, Child Protection Committees' (District-DCPS, Block level Child Protection Committee, Village-VCPC), Specialised Adoption Agency, Sponsorhsip Scheme, 1098,